

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 06.01.2023

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक थाना गोरखनाथ के कुशल नेतृत्व में उ०नि० अतुल कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 08/2023 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त जानू कुमार भारती पुत्र रामनिवास निवासी रामपुर नयागाँव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जानू कुमार भारती पुत्र रामनिवास निवासी रामपुर नयागाँव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 08/2023 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्मचारी

1. उ०नि० अतुल कुमार तिवारी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. कां० राजू कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. का० सुनील यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर